(Public Hearing Minutes)

पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु जनसुनवाई दिनांक 01.07.2022 का कार्यवृत

मैसर्स कुमार हर्बल्स द्वारा प्रस्तावित रीछोटी सिलिका सैण्ड एण्ड मेसनरी स्टोन खनन परियोजना, खनन क्षेत्रफल 23.1726 हैक्टेयर, खनन पट्टा संख्या 06/1982, निकट ग्राम रीछोटी, तहसील करौली, जिला करौली उत्पादन क्षमता 1,34,500 टीपीए (सिलिका रेत) से 6,20,393 टीपीए (कुल उत्खनन) तक वुद्वि एवं अन्य खनिज मेसनरी स्टोन 4,58,233 टीपीए को शामिल करने के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु जनसुनवाई दिनांक 01.07.2022 का कार्यवाही विवरण।

मैसर्स कुमार हर्बल्स, (रीछोटी सिलिका सैण्ड एवं मेसनरी स्टोन खनन परियोजना) खनन पट्टा संख्या 06/1982, खनन क्षेत्रफल 23.1726 हैक्टेयर, निकट ग्राम रीछोटी, तहसील करौली, जिला करौली उत्पादन क्षमता 1,34,500 टीपीए (सिलिका रेत) से 6,20,393 टीपीए (कुल उत्खनन) तक वृद्धि एवं अन्य खनिज मेसनरी स्टोन 4,58,233 टीपीए को शामिल करने के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु पर्यावरण प्रभाव आंकलन अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के अन्तर्गत आवश्यक जनसुनवाई दिनांक 01.07.2022 को अपरान्ह 2.00 बजे राजीव गांधी सेवा केन्द्र, ग्राम पंचायत काशीपुरा, तहसील एवं जिला करौली में श्री पी. आर. मीना, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, करौली (जिला कलेक्टर करौली के प्रतिनिधी) एवं श्री दीपेन्द्र झरवाल, क्षेत्रीय अधिकारी, सवाईमाधोपुर की उपस्थिती में आयोजित की गई।

जनसुनवाई की सूचना समाचार पत्र करौली, हिण्डौन पत्रिका एवं राष्ट्रदूत में दिनांक 24.05.2022 को प्रकाशित की जा चुकी हैं।

बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए श्री दीपेन्द्र झरवाल, क्षेत्रीय अधिकारी, रा.प्र.नि.मं., सवाई माधोपुर ने अवगत कराया कि यह जनसुनवाई मैसर्स कुमार हर्बल्स, (रीछोटी सिलिका सैण्ड एवं मेसनरी स्टोन खनन परियोजना) खननपट्टा संख्या 06/1982, खनन क्षेत्रफल 23.1726 हैक्टेयर, निकट ग्राम रीछोटी, तहसील करौली, जिला करौली उत्पादन क्षमता 1,34,500 टीपीए (सिलिका रेत) से 6,20,393 टीपीए (कुल उत्खनन) तक वुद्वि एवं अन्य खनिज मेसनरी स्टोन 4,58,233 टीपीए को शामिल करने के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु पर्यावरण प्रभाव आंकलन अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के अन्तर्गत आयोजित की जा रही हैं।

श्री दीपेन्द्र झरवाल ने अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, करौली, सरपंच ग्राम काशीपुरा एवं पधारे हुए समस्त ग्रामवासियों का अभिनन्दन किया एवं जनसुनवाई की आवश्यकता एवं महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा की जनसुनवाई से प्रस्तावित परियोजना के बारे में जन चेतना का विकास होता है साथ ही परियोजना से पर्यावरण को सुरक्षित रखने के सम्बन्ध में आमजन की सोच एवं सुझाव उपलब्ध हो जाते है ।

श्री झरवाल ने बताया कि इस बैठक में उपस्थित जन मौखिक एवं लिखित रूप से अपनी आपत्तिया, सुझाव/राय दे सकते हैं। तत्पश्चात् अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, करौली की अनुमति से ईकाई के तकनीकी परामर्शकर्ता द्वारा खनन परियोजना, खनन कार्य से पडने वाले पर्यावरणीय प्रभाव एवं संरक्षण, जल गुणवत्ता, सुरक्षा एवं सामाजिक दायित्व (सी.एस.आर) आदि के बारे में बताया गया।

दीपेन्द्र

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
क्षेत्रीय कार्यालय, सवाई माधोपुर (राज.)

अति० जिला कलक्टर
करौली

तत्पश्चात श्री झरवाल द्वारा पधारे गए लोगों से उक्त खनन परियोजना एवं पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों के सम्बन्ध में सुझाव/आपत्ति/राय बताने को कहा गया।

इसके पश्चात् सर्वप्रथम मनीष सिंह मीणा, पूर्व सरपंच, ग्राम काशीपुरा, द्वारा बताया गया की उक्त खनन परियोजना को यदि पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाती है तो उन्हे कोई आपति नहीं है । उन्होने हर्ष जताते हुए बताया की इस परियोजना के आने से निकट भविष्य में हमारे गाँव में उद्योग एवं व्यवसाय में बढोतरी होगी साथ ही साथ ग्रामवासियों को रोजगार के अवसर प्राप्त होगें। उन्होने यह भी बताया कि इकाई द्वारा प्लानटेशन का कार्य करवाया गया है तथा टैंकर द्वारा पानी के छिडकाव की व्यवस्था की गई हैं। स्कूल के लिए वाटर कूलर की व्यवस्था की गई हैं और सडक मरम्मत का कार्य भी करवाया गया हैं।

इसके बाद श्री विमलेश मीणा, निवासी ग्राम खिरखिरा द्वारा बताया गया कि उन्हें इस खनन परियोजना से कोई आपति नहीं है तथा खनन परियोजना के द्वारा पेड पौधे लगवाए जा रहे है और लगभग 3000 पेड पौधे लगवाए जा चुके हैं।

श्री रघुनन्दन सिंह राजपूत, निवासी ग्राम काशीपुरा द्वारा सवाल किया गया कि जो पेड पौधे लगवाए जा रहे है उनकी देखभाल जैसे पानी देना, बाड करना एवं सुरक्षा आदि की जिम्मेदारी किसकी होगी और कैसे की जाएगी। जवाब में इकाई प्रतिनिधी ने बताया कि पेड पौधो के चारों ओर जाल लगाया जाएगा एवं टेंकर द्वारा समय समय पर पानी दिया जाएगा।

श्री शक्ति प्रताप सिंह राजपूत, निवासी काशीपुरा ने बताया कि खनन परियोजना द्वारा वाहनों के आवागमन से होने वाले वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु समय समय पर पानी का छिडकाव किया जाए।

तत्पश्चात श्री हरिसिंह बैरवा, सरपंच, ग्राम पंचायत काशीपुरा द्वारा अनुरोध किया गया कि खनन परियोजना द्वारा वायु प्रदूषण की रोकथाम पर विशेष ध्यान देते हुए सभी मानक पुरे किए जावें तथा क्षेत्र में खनन गतिविधियों को बढाया जाए ताकि स्थानीय ग्रामवासियों को रोजगार मिल सके। उक्त खनन परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति दिये जाने पर उन्हे व ग्राम पंचायत को कोई आपति नही हैं।

श्री प्रकाश, निवासी हनुमानपुरा द्वारा बताया कि उक्त खनन परियोजना से उन्हे कोई आपत्ति नही है तथा खनन परियोजना द्वारा वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु समय समय पर पानी का छिडकाव किया जाता हैं।

इसके बाद श्री सुरेश चन्द मीणा, ग्राम खिरखिरा ने अनुरोध किया कि इस परियोजना में लगाए गए पेड पौधों की संख्या मानसून को देखते हुए बढाई जाए। यह भी बताया कि उक्त इकाई द्वारा क्षेत्र में एम्बुलेंस जैसी चिकित्सा सुविधाऐ भी प्रदान की गई हैं।

इसके बाद श्री हरि बैरवा, ग्राम काशीपुरा ने बताया कि उक्त खनन परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति दिये जाने पर उन्हे कोई आपति नही है।

तत्पश्चात श्री झरवाल द्वारा पूछा गया कि क्या ये खनन परियोजना कैलादेवी वन्यजीव अभ्यारण्य के 10 किलोमीटर परिधि के बाहर हैं। इस के प्रत्यूतर में परियोजना के तकनीकी परामर्शकर्ता द्वारा बताया गया कि उपवन संरक्षक (वाइल्डलाईफ), करौली से प्राप्त जानकारी के अनुसार उक्त

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

अति०जिला कलक्टर
करौली

खनन परियोजना कैलादेवी वन्यजीव अभ्यारण्य की बाउण्ड्री से 10 किलोमीटर परिधि के अन्दर स्थित हैं तथा NBWL Clearance के लिए आवेदन किया जा चुका है जो कि विचाराधीन है ।

इसके बाद श्री पी. आर. मीना, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, करौली द्वारा परियोजना के कर्मचारी से पूछा गया कि खनन गतिविधि चल रही है या नहीं अगर नही चल रही है तो बताओं कब से बन्द है । जवाब में परियोजना कर्मचारी द्वारा बताया गया कि खनन गतिविधि 31 मई 2022 से बन्द है ।

ग्रामवासियों से पूछा गया कि जन सुनवाई की सूचना कब और कौनसे समाचार पत्र में प्रकाशित हुई। सभी ग्रामवायियों द्वारा कोई उतर नही दिया गया।

श्री पी. आर. मीना द्वारा इकाई प्रतिनिधी से पूछा गया कि खनन गतिविधि कब से चल रही है, तथा इकाई में कितने लोगों को रोजगार दिया गया तथा गॉव व आस पास के क्षेत्र में विकास के लिए सामाजिक व आर्थिक मद्द क्या क्या की गई, इसके प्रत्यूतर में खनन परियोजना के प्रतिनिधी ने बताया कि खनन गतिविधि 1983 से चल रही है (पहले स्वामित्व सुदर्शन लाल गुप्ता के पास था) जिसके पश्चात् 10 सितम्बर 2020 से खनन कार्य मैसर्स कुमार हर्बल्स (वर्तमान लीज धारक) द्वारा किया गया ।

वर्तमान में खनन गतिविधि 31 मई 2022 से बन्द है एवं सीएसआर फण्ड के व्यय के बारे में बताते हुए कहा कि कोरोना काल में 5 ऑक्सीजन कन्सनट्रेटर एडीएम ऑफिस तथा 2 ऑक्सीजन कन्सनट्रेटर पुलिस विभाग को दिए गए। आगे बताते हुए कहा कि ग्राम पंचायत के अधीन आने वाले गॉवों जैसे काशीपुरा, खिरखिरा, हनुमानपुरा, मनोहरपुरा, रीछोटी, श्यामलदा में आवश्यकता अनुसार पंखें, वाटर कुलर, पानी की टंकी आदि प्रदान किए गए तथा बताया कि इकाई में 20 व्यक्ति स्थाई रूप से कार्य करते हैं तथा अस्थाई रूप से भी अन्य लोगों को आवश्यकता अनुसार कार्य पर रखा जाता हैं।

श्री झरवाल द्वारा इकाई प्रतिनिधी को इकाई द्वारा किए गए सामाजिक कार्य एवं मदद की लिखित सूची मय दस्तावेज श्रीमान् अतिरिक्त जिला कलेक्टर, करौली को उपलब्ध कराने हेतु कहा गया।

श्री झरवाल ने इकाई प्रतिनिधी को कहा कि भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिबन्ध को ग्राम पंचायत काशीपुरा एवं कैलादेवी मन्दिर परिसर के आस पास लागू करने के लिए इकाई द्वारा आवश्यक कदम उठायें जावें एवं लोगों को भी जागरूक किया जावें। इसके प्रत्यूतर में इकाई प्रतिनिधी ने इस कार्य में बढ चढकर कार्य करने का आश्वासन दिया।

इसके पश्चात श्री झरवाल द्वारा अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, करौली एवं पधारे सभी ग्रामवासियों को धन्यवाद देकर जनसुनवाई समाप्त की गई।

(दीपेन्द्र झरवाल)
क्षेत्रीय अधिकारी
सवाईमाधोपुर

(पी. आर. मीना)
अतिरिक्त कलक्टर एवं अतिरिक्त मजिस्ट्रेट,
करौली